कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 876 दिनांक :– 25/9/17

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः– **गुवा Link Road (MDR 187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 3094 दिनांक 26.07.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 2157 दिनांक 22.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम ने प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त पथ चौड़ीकरण में ली जाने वाली भूमि तथा पथ में पड़ने वाले पुलिया के चौड़ीकरण के क्रम में ली जाने वाली भूमि जिसका उपयोग हमेशा होगा उस 2.356 हे0 वनभूमि को स्थायी उपयोग मानते हुए स्थायी अपयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। पुलिया के चौड़ीकरण/निर्माण के समय Diversion की आवश्यता होगी, जिसमें 0.2 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी, जो पथ में पड़ने वाले पुलिया के निर्माण के बाद उपयोग नहीं होगा यानि अस्थायी उपयोग के कारण इसे अस्थायी अपयोजन प्रस्ताव का नाम दिया गया है। इस प्रकार प्रस्ताव में स्थाई एवं अस्थाई उपयोग होने वाले कुल भूमि यानि 2.556 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव माना जा सकता है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण क्रमवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	पृच्छाएँ	निराकरण
क	प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों एवं काटे जाने वाले वृक्षों की गणना कर अलग–अलग गणना सूची।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पथ निर्माण के क्रम में काटे जाने वाले वृक्षों की गणना सूची तैयार कर समर्पित की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण का कहना है कि पथ निर्माण के क्रम में अन्य वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। उक्त भूमि पर वृक्ष के रहते हुए भी कार्य (यथा Flanks, Retaining wall, extra मिट्टी रखने आदि) हो जायेगा, जिसमें वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कारण प्रस्ताव में दो गणना सूची है।
ख	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई में पड़ने वाली भूमि का राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Land schedule.	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई में केवल अधिसूचित वनभूमि है। अतः इसमें राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Land schedule की आवश्यकता नहीं है।

वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 02.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कारवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0– यथोक्त ।</u>

विश्वाभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kedn.
25.9.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\Gua Salia, 09.11.2016 \Gua link Road (2.356 ha) 23.05.17